# न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :— भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 37 / 2020

1. सावित्री } पुत्रियां उदाराम जाति जाट निवासीगण नाथवाणा तहसील
2. लिछमा } लूनकरनसर जिला बीकानेर
3. भूराराम } पि0 गौरा पुत्री उदाराम जाति जाट निवासीगण
4. मदनलाल } गोपल्यान तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर। —वादीगण

बनाम

1. फुसी पत्नि स्व0 हीराराम
2. ओमप्रकाश
3. लक्ष्मीनारायण
4. हड़मानराम
5. सुरजाराम
6. किशनलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी नाथवाणा तहसील लूनकरनसर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

—प्रतिवादीगण—

**उपस्थित :—**
1 श्री लालचन्द जाट वादीगण वकील
2 पेरोकार राज।

**दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती**
**दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट**

**—: निर्णय :—**

दिनांक :— 18-12-2020

वादीगण वकील एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से श्रीलालचन्द जाट वकील द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 एक ही पूर्वज स्व0 उदाराम पुत्र भोमाराम के वारिसान है । वादी संख्या 01 व 02 स्व. उदाराम की पुत्रियां वादी संख्या 03 प 04 स्व0 उदाराम की पुत्री गौरा के पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 स्व. उदाराम के पुत्र हीराराम के वारिसान हैं। वादीगण के पिता/नाना स्व0 उदाराम पुत्र भोमाराम के नाम से खातेदारी कृषि भूमि तहसील लूनकरनसर के चक 6 एलकेडी के मु0नं0 90/1 के कि0न0 20 तादादी 18 बिस्वा, किला नम्बर 21/1 तादादी 18 बिस्वा, [illegible] 1 बीघा कुल तादादी 2.16 बीघा कमाण्ड कब्जे एवं दखल में स्थित [illegible] स्व. उदाराम जीवित थे तब तक उनके एवं उनके [illegible] की माता/नानी तुलछी एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] हीराराम के कब्जे एवं काश्त में रही वादीगण की माता/नानी तुलछी के [illegible]न्त के बाद वादगत भूमि के 3/4 हिस्सा पर वादीगण का एवं 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:20:22 IST
Reason: SelfAttested

वादगत भूमि वादीगण के पिता/नाना स्व. उदाराम की सम्पति होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण वादगत भूमि में वादीगण संख्या 01 ता 02 का 2/4 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी

ब0हि0ब0 व वादीगण संख्या 03 ता 04 का हिस्सा 1/4 ब0हि0ब0 व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का 1/4 हिस्सा ब0हि0ब0 दर्ज होना था लेकिन वादीगण के पिता/नाना के देहान्त के बाद विरासतन इन्तकाल संख्या 27 द्वारा वादगत भूमि स्व0 उदाराम के 05 वारिसान के नाम ब0हि0ब0 में दर्ज हुआ उसके बाद वादीगण की माता/नानी तुलछी का देहान्त हो जाने पर वादगत भूमि में निहित तुलछी का हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 में निहित हुआ। इस प्रकार वादगत भूमि में वादीगण का 3/4 हिस्सा ब0हि0ब0 है जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण हकदार हैं।

वादगत भूमि का विरासतन इन्तकाल संख्या 27 दर्ज हो जाने के बाद किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना वादगत भूमि से वादीगण का नाम हटाकर वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता/पति हीराराम व वादीगण की माता/नानी तुलछी के नाम ब0हि0ब0 दर्ज कर दिया जो अवैध एवं शून्य है जिसे निष्प्रभावी घोषित करवाने के वादीगण हकदार हैं । बाद में वादीगण की माता/नानी तुलछी के देहान्त के बाद इन्तकाल संख्या 152 द्वारा तुलछी देवी के 1/2 हिस्सा की भूमि में वादीगण का नाम दर्ज किया परन्तु पुरी वादगत भूमि के 3/4 हिस्से में वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया जबकि वादगत भूमि में वादीगण का 3/4 हिस्सा निहित है जिसकी घोषणा करवाने एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के वादीगण हकदार है ।

वादगत भूमि के 3/4 हिस्सा (2.10 बीघा) पर वादीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि में से 3/8 हिस्सा (1.05 बीघा) भूमि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 को विक्रय कर दी तथा शेष 3/8 हिस्सा भूमि पर वादीगण का एवं 2/8 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का एवं 3/8 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 06 का कब्जा एवं दखल चला आ रहा हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के नाम 5/8 हिस्सा में दर्ज चली आ रही है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का वादगत भूमि में 2/8 हिस्सा ही बनता है जिसकी घोषणा करवाकर वादीगण प्रतिवादी संख्या 01ता05 के नाम दर्ज 5/8 हिस्सा में से 3/8 हिस्सा वादीगण (वादी सं01 के नाम 1/8 हिस्सा वादी सं02 के नाम 1/8 हिस्सा वादी संख्या 03 व 04 के नाम 1/8 हिस्सा ब0हि0ब0) अपनी खातेदारी भूमि घोषित करवाने एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के हकदार है जिसके लिए यह दावा पेश किया गया हैं।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। तामिल समन प्राप्त हुए सूचना के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण पूर्व में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रतिवादीगण संख्या 7 स्टेट की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हैं बिन्दुवार स्टेट जवाब पेश किया गया वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को रिकार्ड की हद तक स्वीकार किया।

वादीगण की ओर से वाद–पत्र के समर्थन में ... रजिस्टर ग्राम 9 एलकेडी प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी ग्राम 9 एलकेडी संवत 2074–77 मु. नम्बर 90/1 के किला नं.20/2, 21/1, व 22 कुल तादादी 2.16 बीघा कमाण्ड की प्रति, गोरा देवी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत गोपल्याण द्वारा जारी जायज वारिस प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:20:22 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का घ्यानपुर्वक अघ्ययन किया । पटवार हल्का नाथवाणा ग्राम 9 एलकेडी के मु. नम्बर 90/1 के जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति एवं वादीगण वकील के कथन से स्पष्ट है कि वादीगण ने वादगत भूमि में निहित अपने हिस्से की भूमि को कभी भी परित्याग नहीं किया ना ही अपने हकों का कभी अवसान किया लेकिन अमला माल की की गलती के कारण वादगत भूमि में वादीगण काा नाम हटा दिया गया जो दुरूस्ती योग्य हैं । वादगत भूमि का विरासतन ईन्तकाल संख्या 27 द्वारा उदाराम के फौत हो जाने पर उदाराम के जायज वारिसान के नाम सही स्वीकृत किया गया था परन्तु ईन्तकाल का जमाबन्दी में इन्द्राज बिना किसी सक्षम आदेश के प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता व तुलछीदेवी के नाम कर दिया गया । उक्त गलत इन्द्राज की पालना में ई0सं. 152 व 156 स्वीकृत किये गये जो प्रारम्भ से वोयड हैं। अतः प्रस्तुत रिकार्ड, जवाब स्टेट से वाद वादीगण साबित होता हैं। राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के नाम 5/8 हिस्सा में दर्ज चली आ रही है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का वादगत भूमि में 2/8 हिस्सा ही बनता है जिसकी घोषणा करवाकर वादीगण प्रतिवादी संख्या 01ता05 के नाम दर्ज 5/8 हिस्सा में से 3/8 हिस्सा वादीगण (वादी सं01 के नाम 1/8 हिस्सा वादी सं02 के नाम 1/8 हिस्सा वादी संख्या 03 व 04 के नाम 1/8 हिस्सा ब0हि0ब0) अपनी खातेदारी भूमि घोषित करवाने एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के हकदार है जिसकी घोषणा की जाती हैं । तहसीलदार लूनकरनसर वादीगण प्रतिवादी संख्या 01ता05 के नाम दर्ज 5/8 हिस्सा में से 3/8 हिस्सा वादीगण (वादी सं01 के नाम 1/8 हिस्सा वादी सं02 के नाम 1/8 हिस्सा वादी संख्या 03 व 04 के नाम 1/8 हिस्सा ब0हि0ब0) को निर्णय की पालना में रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:20:22 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर**

**ब इजलास : भागीरथ शाख, आरएएस**

सावित्री आदि **बनाम** फुसी आदि

**दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट**

**मुकदमा नम्बर :– 37/2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री लालचन्द जाट, अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई पैरोकारराज राज्य की ओर से मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के नाम 5/8 हिस्सा में दर्ज चली आ रही है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का वादगत भूमि में 2/8 हिस्सा ही बनता है जिसकी घोषणा करवाकर वादीगण प्रतिवादी संख्या 01ता05 के नाम दर्ज 5/8 हिस्सा में से 3/8 हिस्सा वादीगण (वादी सं01 के नाम 1/8 हिस्सा वादी सं02 के नाम 1/8 हिस्सा वादी संख्या 03 व 04 के नाम 1/8 हिस्सा ब0हि0ब0) अपनी खातेदारी भूमि घोषित करवाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश वादगत भूमि 9 एलकेडी में उक्त अनुसार नामान्तरकरण दुरूस्त करें।

नीज ............................- ......................मुबलिक ................- ....................बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..................... -........................... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ................-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदा[illegible]2020 को डिक्री जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:20:22 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर